प्रेसनोट थाना पुवायाँ

जनपद शाहजहाँपुर

दिनांक – 28.04.2026

थाना पुवायाँ पुलिस द्वारा हत्या की घटना का 24 घन्टे के अन्दर किया सफल अनावरण 4 अभियुक्तो को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर, महोदय श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी पुवायाँ के कुशल पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के सघन अभियान के क्रम में थाना पुवायाँ पुलिस द्वारा हत्या की घटना का 24 घंटे के भीतर सफल अनावरण करते हुए 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरणः- दिनांक 27.04.2026 को थाना पुवायाँ पर श्री कमल राठौर पुत्र चन्द्रपाल राठौर निवासी मोहल्ला नई बस्ती रेती थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर मुकदमा की लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0स0 249/2026 धारा 103(1) बीएनएस बाबत अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी के भाई कुलदीप राठौर उम्र करीब 35 वर्ष की हत्या कर देने के सम्बन्ध मे पंजीकृत कराया था । जिसकी विवेचना श्रीमान प्रभारी निरीक्षक पुवायाँ द्वारा स्वंय सम्पादित की जा रही हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाहजहाँपुर द्वारा घटना को गम्भीरता से लेते हुए घटना के सम्बन्ध मे साक्ष्य संकलित कर घटना के शीघ्र सफल अनावरण हेतु निर्देश दिये गये। जिसके क्रम मे थाना पुवायाँ पर पुलिस टीम का गठन किया गया। दौराने विवेचना मृतक के मोबाइल की सीडीआर के अवलोकन से सचिन पुत्र राजेन्द्र कुमार निवासी रोशनगंज थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर का नाम संदिग्ध के तौर पर प्रकाश मे आया इसके बाद सचिन उपरोक्त के घर जाकर शक्ति से पूछताछ की गयी तो उसने बताया कि मैं तथा कौशल कुमार उर्फ नन्हे पुत्र शान्ति प्रसाद निवासी बड़ी विसारत हुसैनपुरा थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर व अमन पुत्र रविन्द्र मौर्य निवासी शिवकालोनी हयातपुरा थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर व अर्जुन पुत्र रामनरेश निवासी हयातपुरा थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर चारो दोस्त है। दिनांक 26.04.2026 को मेरे दोस्त अर्जुन पुत्र रामनरेश निवासी हयातपुर थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर के मामा बालकराम पुत्र सीताराम निवासी ग्राम सदापुर थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर की बेटी प्रांशी की शादी थी जिसमे अर्जुन ने मुझसे गाड़ी बुक करने के लिए कहा था मृतक कुलदीप राठौर उपरोक्त जो कैब चलाता है वह भी मेरा दोस्त था। उसे मैने शाहजहाँपुर से ग्राम सदापुर थाना क्षेत्र पुवायाँ के लिए 1300 रुपये मे बुक किया था। दिनांक 26.04.2026 को समय करीब 09.30 बजे के बाद रात्रि मे, मैं तथा कौशल कुमार उर्फ नन्हे पुत्र शान्ति प्रसाद निवासी बड़ी विसरात हुसैनपुरा थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर व अमन पुत्र रविन्द्र मौर्य निवासी शिवकालोनी हयातपुरा थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर व अर्जुन पुत्र रामनरेश निवासी हयातपुरा थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर, कुलदीप राठौर के साथ उसकी गाड़ी मे ग्राम सदापुर अर्जुन के मामा की लड़की की शादी मे जा रहे थे बड़ागांव से सदापुर जाने वाले रास्ते मे अर्जुन द्वारा अवैध तमंचा जो अपने साथ लिया था उस अवैध तमंचे को अर्जुन ने निकाला हम सभी लोग उस तमंचे के साथ हम लोग स्टंट कर रहे थे जिसका विरोध कुलदीप राठौर कर रहा था कि गाड़ी मे तमंचा मत लहराये हम लोगो को यह बात खराब लगी तभी अर्जुन जो ड्राईवर के पीछे वाली सीट पर बैठा था उसने कुलदीप के गोली मार दी और कुलदीप तड़पने लगा तब गाड़ी एक गन्ने खेत मे घुस गयी उसके बाद गाड़ी बंद हो गयी तथा हम लोग डर के कारण वहाँ चले गये थे तथा जाते समय कुलदीप के पास जो मोबाइल व फर्स था उसे निकाल लिया और शारदा नहर मे फेंक दिया ताकि कुलदीप की पहचान न हो सकें। जिसके आधार पर अभियुक्तगण 1. सचिन पुत्र राजेन्द्र कुमार निवासी रोशनगंज थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर 2. कौशल कुमार उर्फ नन्हे पुत्र शान्ति प्रसाद निवासी बड़ी विसारत हुसैनपुरा

थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर 3. अमन पुत्र रविन्द्र मौर्य निवासी शिवकालोनी हयातपुरा थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर 4. अर्जुन पुत्र रामनरेश निवासी हयातपुरा थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर का नाम मुकदमा उपरोक्त मे प्रकाश मे आया तथा अभियोग मे अपराध धारा 238ख/3(5) बीएनएस का अपराध कारित होना पाया गया अतः अभियोग मे धारा 238ख/3(5) बीएनएस की वृद्धि की गयी तथा मौके पर अभियुक्त सचिन उपरोक्त को कारण गिरफ्तारी बताते हुए हिरासत पुलिस मे लिया गया तथा शेष अभियुक्तगण 1. कौशल कुमार उर्फ नन्हे पुत्र शान्ति प्रसाद निवासी बड़ी विसारत हुसैनपुरा थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर 2. अमन पुत्र रविन्द्र मौर्य निवासी शिवकालोनी हयातपुरा थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर 3. अर्जुन पुत्र रामनरेश निवासी हयातपुरा थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर को मुखविर की सूचना पर **मघई टोला से हाईवे के पास** पकड़ थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर से **दिनांक 28.04.2026 को समय 13.50 बजे** हिरासत पुलिस लिया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तगणो को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा हैं।

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0 249/2026 धारा 103(1)/238ख/3(5) बीएनएस व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना पुवायां जनपद शाहजहांपुर।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. सचिन पुत्र राजेन्द्र कुमार निवासी रोशनगंज थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर।
2. कौशल कुमार उर्फ नन्हे पुत्र शान्ति प्रसाद निवासी बड़ी विसारत हुसैनपुरा थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर।
3. अमन पुत्र रविन्द्र मौर्य निवासी शिवकालोनी हयातपुरा थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर।
4. अर्जुन पुत्र रामनरेश निवासी हयातपुरा थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर।

गिरफ्तारी का स्थान व समयः-

मघई टोला से हाईवे के पास से दिनांक 28.04.2026 को समय करीब 13.50 बजे।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त अर्जुनः

मु0अ0स0 124/2024 धारा 67 आईटी एक्ट थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजेन्द्र कुमार रावत थाना पुवायाँ जनपद शाहजहांपुर।
2. उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना पुवायाँ जनपद शाहजहांपुर।
3. उ0नि0 श्री गौरव कुमार थाना पुवायाँ जनपद शाहजहांपुर।
4. हे0का0 180 धीरेन्द्र प्रताप सिंह थाना पुवायाँ जनपद शाहजहांपुर।
5. का0 414 पूरनलाल थाना पुवायाँ जनपद शाहजहांपुर।
6. का0 1879 विष्णु थाना पुवायाँ जनपद शाहजहांपुर।
7. रि0का0 शिवराज थाना पुवायाँ जनपद शाहजहांपुर।
8. रि0का0 विशाल थाना पुवायाँ जनपद शाहजहांपुर।
9. रि0का0 मनीष कुमार थाना पुवायाँ जनपद शाहजहांपुर।